


J. D. A.⁶⁴⁹
LOCATION PLAN
AS PER MASTER PLAN / SECTOR PLAN



संसार विभाग योजना 10/11 के अनुसार नू उपखण्ड
 प्लान की विवरण निम्न :-

1. पूर्ण / अंशिक विभिन्न प्रकार -	B	-	22
2. सार क्षेत्री विभिन्न प्रकार -	C.W	-	5
3. खाली प्लान -	V	-	1
कुल प्लान -	TOTAL	-	28

बीडे के अनुसार क्षेत्र का नू उपखण्ड व लॉन्ड्री विवरण :-

क्रमांक	नू उपखण्ड	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1.	आवासीय	3612.65 SQ.YDS	65.97 %
2.	सड़क	1966.20 SQ.YDS	34.03%
3.	खुला क्षेत्र	---	---
4.	COMMERCIAL	---	---
कुल		5778.85 SQ.YDS	100.00%

योजना की बीडे क्षेत्र, जो 100 एकर क्षेत्रफल (10000 वर्ग मीटर) की है, इसमें नू उपखण्ड का क्षेत्रफल 3612.65 वर्ग यार्ड है। शेष क्षेत्रफल 2166.20 वर्ग यार्ड है, जो सड़क, खुला क्षेत्र और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए है।

कार्यालय का नाम
 संविधान 40

योजना की पूर्ण की 100% अधिकांश क्षेत्र 20 से 40 से की सुविधाएं
 एवं बीडे पर पूर्ण की 100% अधिकांश क्षेत्र 20 से 40 से की सुविधाएं
 पूर्ण अधिकांश क्षेत्र 20 से 40 से की सुविधाएं।

नाम
 साक्षरता

संविधान / संविधान 40 की सुविधाएं
 की अनुमति में योजना कार्यालय स्थापित कर जो क्षेत्र पर।

NAME OF SOCIETY :-
**SHANKER BHAWAN NIRMAMAN
 SAHAKARI SAMITI LTD**

NAME OF SCHEME :-
SANJAY NAGAR EXT.

ZONE NO. 6 SECTOR NO.

SCALE 1"= 50' BRG. NO.

A.T.P. ZONE B.T.P. S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

बी.पी.सी. (एन.पी.) की 137वीं बैठक दिनांक 16.09.2009 के कार्यवाही विवरण नोटशीट पर सत्यापन किया है। अवलोकनार्थ एवं अंतिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अतिरिक्त एजेन्डा संख्या-3
 137/16.09.09 (जोन-6)

विषय : शंकर भवन नू निर्माण सहकारी समिति की योजना संजय नगर विस्तार के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श परवात निर्णय लिया गया है -

- 80 सेक्टर रोड से प्रभावित भूखण्ड संख्या 1-ए, 1-बी, 1-सी, को एन अन्व फिती भी भूखण्ड को नियमानुसार सैटबैक के उपरान्त निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण उन्हें नैर अनुमोदित किया जावे।
- भूखण्ड संख्या 11, 19 व 20 के मोके पर दो भाग किये ? जिसके क्रम में नू निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सचिवालय सूची के आधार पर परिक्षण उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही जोन स्तर से की जानी होगी।
- भूखण्ड संख्या 19 और 22 के दक्षिणी भाग जो कि सड़क सीमा के बाहर है उस क्षेत्र का नियम नहीं किया जावे।
- समिति के मानचित्र में भूखण्ड संख्या 8ए सुचित है परन्तु मौका सर्व मानचित्र अनुसार मोके पर भूखण्ड संख्या 8ए सुचित नहीं है। उक्त ब्लॉक में भूखण्ड संख्या 8 से 11 तक की चौड़ाई मौका विहितानुसार स्वीकृत की जावेगी।
- योजना में भूखण्ड संख्या 6 से 12 व 13 से 4 एवं 5 के सामने है एवं भूखण्ड संख्या 3 से 19ए व भूखण्ड संख्या 2 से 20 के सामने विगत 30फीट सड़क को 40फीट किया जावे एवं भूखण्डों में से दोनी और से समान भूमि ली जावे।
- योजना की भूमि नवी, सार्व, सार्व, जोड़द पायदान अथवा जलसंचयन स्थल एवं अधुन रहमान प्रकरणार्थ निर्देशों में से प्रभावित नहीं है के सन्दर्भ में जोन स्तर पर सुनिश्चित नहीं है।
- वर्तमान जारी आदेश के तहत योजना/भूखण्डों में पुनारोपण करवासवा जमा आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तों के साथ योजना अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।

ज.डी.ए.
 ATP/DTP (zone-6)
 DC (zone-6)
 DTP (project)
 STP (project)
 27.9.09

